प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–11.09.2023 (सं0–398)

1. सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक पद पर उच्चतर प्रभार की स्वीकृति एवं कृत कार्रवाई

- बिहार पुलिस मुख्यालय (कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग) के आदेश संख्या 416, दिनांक 08.09.2023 के द्वारा प्रोन्नति हेतु 3279 सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया है।
- लगभग 2 हजार सहायक अवर निरीक्षकों के मामले सेवा सम्पुष्टि, ए0सी0आर0, अपूर्ण सेवा अभिलेख के हैं। शीघ्र हीं पूर्ण जाँच के उपरान्त अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार हेतु पुनः आदेश निर्गत किया जाएगा।

2. पुलिस अवर निरीक्षक की वरीयता सूची

- विज्ञापन संख्या 704 के अन्तर्गत 2009 के नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक की वरीयता सूची पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 821/पी0–2, दिनांक 31.07.2023 के द्वारा निर्गत की गयी थी।
- 2009 बैच के पुलिस अवर निरीक्षकों की नियुक्ति 8 चरणों में की गयी है। 6 चरणों तक कुल पूर्णांक 2030 निर्धारित था।
- सातवें चरण के बैच में घुड़सवारी से सम्बन्धित 40 अंक का नया विषय जोड़ा गया तथा शारीरिक प्रशिक्षण का अंक 80 के स्थान पर 90 करते हुये 2080 निर्धारित किया गया।
- पुनः आठवें चरण के बैच में सिर्फ घुड़सवारी से सम्बन्धित 40 अंक का नया विषय जोड़कर पूर्णांक 2070 निर्धारित किया गया।
- पूर्णांक की भिन्नता का प्रभाव वरीयता सूची पर पड़ा। जिसे लेकर कतिपय अभ्यावेदन/आपत्ति पुलिस मुख्यालय को समर्पित की गयी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा इसपर संज्ञान लेते हुये समानुपातिक स्थिति लाने हेतु पूर्णांक 2023 के अनुरूप पुलिस अवर निरीक्षकों की पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 881/पी–2, दिनांक 31.07.2023 के द्वारा निर्गत वरीयता सूची में राज्य वरीयता सूची भाग–IV अंश "क" को संशोधित करते हुये पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 954/पी–2, दिनांक 10.09.2023 के द्वारा अंतिम राज्य वरीयता सूची भाग–IV अंश "क" का प्रकाशन किया गया है। वरीयता सूची में उक्त बैच के 2353 अवर निरीक्षक थें, जिसमें से 160 की वरीयता संशोधित की गयी है।
- नयी संशोधित वरीयता सूची पर 3 दिनों तक आपत्ति अंकित करायी जा सकती है, इस हेतु पुलिस मुख्यालय को पत्राचार अथवा पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक को ई0मेल भेजा जा सकता है।
- 3 दिनों के उपरान्त इस सूची को सही मानते हुये अग्रतर पद पर उच्चतर प्रभार देने की कार्रवाई की जाएगी।

XXXXXX